यह निरीक्षण आख्या **निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड, देहरादून के अवधि 11/2012 से 08/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री रविशंकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सुनील कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 24.09.2016 से 28.09.2016 तक श्री डी. एन. मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित संप्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग–प्रथम

(अ) परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अमित टण्डन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री ललित थपलियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26.11.2012 से 29.11.2012 तक श्री अरूण खण्डूरी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी। जिसमें माह 04/2009 से 10/2012 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(आ) वर्तमान में माह 11/2012 से 08/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्यायाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा :

1. कर्नल ए.एस. अधिकारी (अ.प्रा.)
2. मेजर करण सिंह (अ.प्रा.)
3. कर्नल अमिताभ नेगी (अ.प्रा.)
4. राजकुमार चन्द शौयचक्र (अ.प्रा.)

1. विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन स्थिति :

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वर्ष	प्रस्तर संख्या	
	भाग–2 अ	भाग–2 ब
24/2012–13	–	1, 2
164/2004–05	–	1, 2, 3

2. सतत् अनियमिततायें – शून्य

3 . अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित) – शून्य

बजट :

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	स्थापना		गैर–स्थापना	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2013–14	107.96	104.81	10.17	9.59
2014–15	131.97	124.36	13.07	11.33
2015–16	156.45	151.20	19.41	15.93
2016–17 (अगस्त 2016)	152.07	57.36	00	00

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 1 : बिना शासन के अनुमति प्राप्त किये कम्प्युटर कोर्सों के संचालन करने के कारण अदेय देयता ` 88,560/– लंबित रहना।

शासनादेश सं. 280/XVII–3/14–09 40/2014 दिनांक 11 अप्रैल 2014 के द्वारा आयोजनागत/आयोजनेत्तर 2014–15 हेतु पूर्व सैनिक, सैनिक विधवाओं एवं उनके आश्रितों के लिए पूर्नवास हेतु कम्प्युटर प्रशिक्षण कार्यक्रम किये जाने हेतु ` 26,52,81,000/– धनराशि स्वीकृत की गयी थी जिसके सापेक्ष पूर्व सैनिक, उनके आश्रितों के पूर्नवास हेतु कौशल बृद्ध मद में ` 60.00 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

सम्बन्धित लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि पूर्व सैनिकों उनके आश्रितों के पुर्नवास हेतु कौशल एवं रोजगारपरक हेतु कम्प्युटर प्रशिक्षण योजना का प्रारंभ शासनादेश दिनांक 17 मार्च 2005 के द्वारा किया गया था जिसके तहत प्रत्येक वर्ष कम्प्युटर प्रशिक्षण कार्यक्रम कुल 13 जनपदों में संचालित किया जाता है जिसके सापेक्ष वर्ष 2013–14 में कम्प्युटर प्रशिक्षण हेतु कम्प्युटर एजेंसी (प्रशिक्षणकर्ता) मैसर्स हिल्ट्रान के साथ अनुबंध दिनांक 14 मई 2013 में निष्पादित किया गया लेकिन वित्तीय वर्ष 2014–15 में कम्प्युटर प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु शासन स्तर से अनुमति की मांग की गयी थी क्योंकि वर्ष 2014–15 में कम्प्युटर प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु शासन स्तर से अनुमति की मांग की गयी थी क्योंकि वर्ष 2014–15 हेतु ` 60 लाख की धनराशि सैनिक कल्याण विभाग को वित्तीय वर्ष 2014–15 के प्रारम्भ में ही आवंटित की गयी थी लेकिन शासन स्तर से 23 सितम्बर 2014 में शासन स्तर से प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्राप्त हुआ था लेकिन विभाग द्वारा आवंटित धनराशि ` 60 लाख का व्यय कम्प्यूटर प्रशिक्षण पर नहीं किया गया बल्कि धनराशि अवरूद्ध रखा गया। लेखापरीक्षा द्वारा आगे पाया कि वर्ष 2014–15 में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, लैंसडाउन द्वारा तीन माह अवधि 01 अप्रैल 2014 से 04 जुलाई 2014 तक) कम्प्युटर एजेंसी (प्रशिक्षण कर्ता) मैसर्स हिल्ट्रान कैल्क के द्वारा प्रशिक्षण का कार्य बिना अनुमति प्राप्त किये संचालित किया गया जिसके अंतर्गत 38 प्रशिक्षण कर्मियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया जिसके सापेक्ष ` 88560/– धनराशि की मांग की गयी जिसे स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया गया था जिसकी स्वीकृति लेखापरीक्षा अवधि तक (सितम्बर 2016) अप्राप्त थी। इस प्रकार,

वर्ष 2014–15 में पर्वू सैनिक, उनके आश्रितों व विधवाओं के पुर्नवास हेतु आवंटित धनराशि ` 60 लाख विभाग के पास रहने के बावजुद व्यय नहीं किया जा सका बल्कि अप्रैल 2014 से जूलाई 2014 में अनुमति शासन से प्राप्त न होने के बावजूद जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, लैंसडाउन, द्वारा कम्प्युटर प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन माह (अप्रैल 2014 से जुलाई 2014 तक) कम्प्युटर एजेंसी (प्रशिक्षणकर्ता) मैसर्स हिल्ट्रान द्वारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम संचालित किया गया जिसके अंतर्गत 38 प्रशिक्षणर्थियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया जिसके सापेक्ष ` 88560/– धनराशि की अदेय देयता विभाग पर लंबित है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर निदेशक सैनिक कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में शासन से बार–बार पत्राचार किया गया किन्तु शासन द्वारा स्वीकृति नहीं दी गयी तथा 09/2014 में स्वीकृति प्रदान की गयी जिसके कारण एक वर्ष (2014–15) का कार्य कम्प्युटर कोर्स पूर्ण नहीं किया जा सकता था।

इस प्रकार बिना शासन के अनुमति प्राप्त किये कम्प्युटर कोर्सों का संचालन करने के कारण अदेय देयता ` 88560/– लंबित रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निराकरण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से **निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र